(२)

श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

R-3044-III/14 निगरानी प्रकरण क्र० /2014

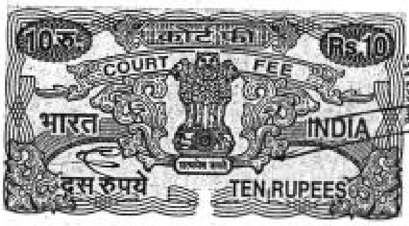

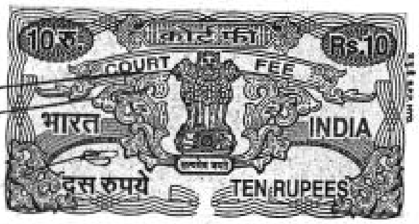

492
21.8.14

20/-

रामाश्रय तनय परमेश्वरदीन निवासी ग्राम चोरहटा, तह० हुजूर, जिला रीवा म०प्र०

------- आवेदक

विरुद्ध

मृ० सीताराम द्वारा विधिक वारिसान

1- श्रीमती गेंदिया ~~कुंवर~~ पत्नी सीताराम उम्र 60 वर्ष,

2- महेश तनय सीताराम उम्र लगभग 38 वर्ष,

3- अनसुइया प्रसाद तनय सीताराम उम्र 40 वर्ष,

4- रामप्रकाश तनय सीताराम उम्र 42 वर्ष, सभी निवासीगण ग्राम चोरहटा,

तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र० -------- अनावेदकगण

श्री... [handwritten] ...एड
द्वारा आज दिनांक.. 21.8.14 के
प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 2435
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ___ को प्राप्त
25.8.14
रजिस्ट्रार सर्किट कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय

अति० आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा

पारित प्रकरण क्र० 945/ अपील/09-10

आदेश दिनांक 30-7-12।

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता सन 1959 ईस्वी।

मान्यवर,

निगरानी के आधार अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3044–तीन/2014 जिला रीवा

रामाश्रय विरूद्ध मृत सीताराम विधिक वारिसान

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 945/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30–7–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21–8–2014 को प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात दिनांक 30–7–2012 को अंतिम आदेश पारित किया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी लगभग दो वर्ष बाद दिनांक 21–8–2014 को प्रस्तुत की है। दो वर्ष के विलम्ब के संबंध में आवेदक की ओर से कोई समाधानकारक कारण भी नहीं दर्शाये हैं। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी समयबाधित प्रस्तुत होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	